न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/167

1. मोहम्मद सद्दीक पुत्र मृतक पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रेल्वे स्टेशन, नयापुरा अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
2. सिराज मोहम्मद पुत्र मृतक पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रेल्वे स्टेशन, नयापुरा अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
3. नन्ही बाई पुत्री मृतक पीर मोहम्मद पत्नी हलीम भाई जाति मुसलमान निवासी बस्टेण्ड अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
4. हारूनी बाई पुत्री मृतक पीर मोहम्मद पत्नी वहीद भाई जाति मुसलमान निवासी भूरा कुआं अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
5. झन्नो बाई पत्नी मृतक पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रेल्वे स्टेशन, नयापुरा अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
6. मोनू कुमार पुत्र शब्बीर मोहम्मद
7. रहनुमा पुत्री शब्बीर मोहम्मद
8. वहीदन बैगम पत्नी शब्बीर मोहम्मद
9. सोनू कुमार पुत्र शब्बीर मोहम्मद
   जाति मुसलमान निवासी रेल्वे स्टेशन, नयापुरा अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां

——अपीलांटगण

बनाम

ख्वाजी बानो तथाकथित पुत्री छोटे खां, पत्नी अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी ग्राम मंडीता तहसील सांगोद हाल निवासी पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री हेमन्त कृष्ण विजय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांकः 30.01.2026

निर्णय

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 63/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

अपील संख्या 2025/167

मोहम्मद सद्दीक बनाम ख्वाजी बानो वगै.

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि माल ग्राम मंडीता पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 116 पुरानी 114 के खसरा न० 98 की 0.60 हेक्टर कुल 1 किता की कुल 0.60 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 115 पुरानी 108 के खसरा न० 105 की 1.50 हेक्टर, खसरा न0 111 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 112 की 1.05 हेक्टर, खसरा न0 77 की 3.32 हेक्टर, खसरा न077/610 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 96 की 1.03 हेक्टर कुल किता 6 की कुल 6.92 हेक्टर आराजी स्थित है। सजरा परिवार अंकित करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद न02 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण व अन्य के पूर्वज छोटे खा पुत्र खुदा बख्श के समय से ही पुश्तेनी चली आ रही है, एवं इसी प्रकार मुनीर खां पुत्र खुदा बख्श के खाते में 1/2 हिस्सा उसके वारिसान के पुश्तेनी खाते चली आ रही है। छोटे खां की मृत्यु के बाद उक्त छोटे खां का 1/2 हिस्सा भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मनमाने तरीके से बिना जांच किये छोटे खां के वारिसान जमाबन्दी सम्वत 2017 से 2019 मे छोटे खां के स्थान पर पीर मोहम्मद वल्द छोटे खां का नाम दर्ज कर दिया, पीर मोहम्मद नाबालिग वली माता चन्दा पुत्र दर्ज कर दिया। जबकि छोटे खां के वैध वारिसान प्रार्थीनी व प्रतिवादी क्रम 10 जन्नतबाई पुत्री छोटे खां पत्नी सरदार खां एवं मृतक मेहमूदी बाई पुत्री छोटे खां एवं मृतक चन्दाबाई पत्नी छोटे खां के वेध वारिसान होने से छोटे खां के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीनी का 1/8 हिस्सा, अन्य प्रतिवादनी क्रम 10 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 11 लगायत 17 का 1/8 हिस्सा छोटे खां की मृत्यु के उपरान्त वेधानिक रूपसे दर्ज होना चाहिए था, जिसे राजस्व अधिकारियो की मिली भगत से अप्रार्थीगण के पिता के पूर्वज पीर मोहम्मद पुत्र छोटे खां सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया है, जिसका सेटलमेन्टविभाग राजस्व अधिकारियो का कानूनन विधिक अधिकार नही होने से खारिज किया जाकर नियमानुसार प्रार्थीनी के 1/8 हिस्सा व अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 पीर मोहम्मद के वारिसों को 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 10 के 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 11 ता 17 के 1/8 हिस्सा दर्ज करवाया जाने की आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र की मद न0 2 में वर्णित आराजी पीर मोहम्मद के समय से पीर मोहम्मद द्वारा प्रार्थीनी का 1/8 हिस्सा हमेशा से ही प्रार्थीनी को देता रहा है, तथा पीर मोहम्मद की मृत्यु के बाद पीर मोहम्मद के वारिसान विभाजन कर संभलाने के लिए हमेशा तत्पर रहे है। तथा विभाजन कराने के लिए भी तैयार रहा है। प्रार्थीनी के कहने पर अप्रार्थीगण पीर मोहम्मद के वारिसान ने वादीनी का 1/8 हिस्सा संभला दिया था। प्रार्थीनी अपने हिस्से 1/8 को वादग्रस्त आराजी को सन 1992 से ही पांती काश्त पर अप्रार्थी क्रम 12 से काश्त कराती चली आ रही है. तथा पांती कीफसल विक्रय कर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 हमेशा पांती का मुनाफा देते चले आ रहे है, तथा वादीनी राशि प्राप्त करती चली आ रही है। लेकिन पीर मोहम्मद के वारिसान

पीर मोहम्मद की मृत्यु हो जाने से उनके नाम राजस्व रेकार्ड मे सेटलमेन्ट की गलती से दर्ज हो जाने से मनमाने तरीके से दर्ज हिस्से अनुसार आराजी को विक्रय कर रहे है, इसलिए प्रार्थीनी को विवादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने तथा विभाजन करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीनी ने अप्रार्थी कम 1 व 2 से आराजी का हिस्सा अनुसार विभाजन करवाने की 2010 मे कहने पर अप्रार्थीगण कम 1 व 2 ने विभाजन करवाने की सहमति दी, लेकिन जब प्रार्थीनी ने आराजी के विकास कार्य हेतु ऋण प्राप्ती के लिए नकल जमाबन्दी प्राप्त की, तथा उसमे प्रार्थीनी का नाम अंकन न होकर केवल अप्रार्थी कम 1 व 2 तथा मृतक पीर मोहम्मद के वारिसान का ही नाम अंकित होने से प्रार्थीनी ने अप्रार्थी कम 1 व 2 से प्रार्थीनी का नाम दर्ज कराने के लिए दिनांक 5.1.2022 को कहने पर अप्रार्थीकम 1 व 2 द्वारा मना कर दिया, तथा प्रार्थीनी ने रेकार्ड रूम से पुरानी जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड 2015 से 2075 तक निकलवाने पर जमाबन्दी सेटलमेन्ट 2015 से 2028 प्राप्त होने पर छोटे खां के स्थान पर पीर मोहम्मद वल्द छोटे खां का नाम दर्ज कर दिया है, जो उसमे दर्ज अंकन प्रविष्ठियों से पता चला है, कि मृतक पीर मोहम्मद ने सेटलमेन्ट विभाग को गलत तथ्य बताकर कानून के विपरीत प्रार्थीनी के अधिकारो को नजर अन्दाज कर सेटलमेन्ट विभाग से पीर मोहम्मद का नाम दर्ज करवाकर जमाबन्दी मे दर्ज करवाया है। जिसकी पहली बार दिनांक 12/4/2022 को नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट 2015 से 2028 प्राप्त होने पर तथा प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने की घोषणा तथा अप्रार्थी मृतक पीर मोहम्मद के वारिसान अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाकर उक्त वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए उक्त विवादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द न करने की निषेधाज्ञा पारित करवाने व प्रार्थीनी के 1/8 हिस्से को प्रथक रूपसे दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के लिए उक्त उनवान के वाद के साथ प्रार्थना पत्र बाबत चाहने अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ है, यही इस प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है। यदि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद से पाबन्द नही किया गया, तो वे राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर आराजी को खुर्द बुर्द करने में सफल हो जावेंगे, जिससे प्रार्थीनी को काफी अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी, प्रार्थीनी का वाद पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया केस है, और सुविधाओ का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में विध्यमान है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम मंडीता पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद के खाता संख्या नई 116 के खसरा न0 98 की 0.60 हेक्टर कुल 1 किवा की कुल 0.60 हेक्टर आराजी व खाता संख्या नई 115 के खसरा न0 105 की 1.50 हेक्टर, खसरा न0 111 की 0.01 हेक्टेयर व खसरा न0 112 की 1.05 हेक्टर खसरा न० 77 की 3.32 हेक्टर, खसरा न0 77/610 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 96

की 1.03 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 6.92 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर आराजी को कही रहन बैय फरोक्त हस्तान्तरण आदि नही करे, तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, तथा किसी प्रकार से प्रार्थीनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मदाखलत मजामहत व नुकसान व बाधा कारित नहीं करे, उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे, और न ही अपने किन्ही नौकरो व एजेन्टो से ऐसा करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2025 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किए किया जाकर उभयपक्षकारान को मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मोके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28. 04.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का तथाकथित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादनी रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर ताफैसला मूल वाद प्रतिवादीगण अपीलान्टस् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है कि माल ग्राम मंडिता पटवार हल्का मंडिता तहसील सांगोद में खाता सं० 116 की खसरा नम्बर 98 की 0.60 हेक्टर भूमि व खाता सं० 115 की कुल 6 किता की 6.92 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे इस आशय का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि काननून ताफैसला दावा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखने के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत,

त्रुटि पूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त ही किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण अपीलान्टस् अपील विषयक कृषि आराजियात के खातेदार टीनेन्ट है एवं उपरोक्त भूमि पर वैधानिक रूप से काबिज है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादनी रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर आदेश जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज व्यक्ति प्रतिवादीगण अपीलांटगण के विरूद्ध काननून अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत त्रुटि पूर्ण एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादिनी रेस्पो० का वाद विषयक अपील विषयक उपरोक्त कृषि आराजियात पर कोई हक एव अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है एवं कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण अपीलांटगण उपरोक्त भूमि पर वैधानिक रूप से काबिज चले आ रहे है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेरअपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि प्रतिवादीगण अपीलान्टस् ने वादिनी रेस्पो० से वाद में लिखेनुसार उसके तथाकथित 1/8 हिस्से की भूमि के कभी भी पांती काश्त मुनाफा काश्त पर नहीं लिया है तथा प्रतिवादी अपीलान्टस ने वादनी रेस्पो० को पांती का मुनाफा कभी भी अदा नहीं किया है। इस तथ्य को वादिनी रेस्पो० द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित भी नहीं किया गया था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तोर पर आदेश जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है।अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी रेस्पो० का प्रथम दृष्टया मामला होना मान कर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू वादनी रेस्पो० के पक्ष में निर्णित फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादीगण अपीलान्टस् उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज चले आ रहे हे अतः अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तीनों बिन्दू प्रतिवादीगण अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित फरमा कर वादिनी रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा पूर्व में सम्माननीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2025 निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांटगण व अन्य के पूर्वज छोटे खां पुत्र खुदा बख्श के समय से ही पुश्तैनी चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट का 1/8 हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से अप्रार्थीगण के पूर्वज पीर मोहम्मद पुत्र छोटे खां का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया है, जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट काबिज होकर

काश्त करती चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपीलांटगण दौराने वाद विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द अथवा दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित कर देते है तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की विधि अनुसार विवेचना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.04.2025 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.04.2025 में वादग्रस्त आराजी के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत उभयपक्षकारान को पाबन्द किए जाने का आदेश अंकित किया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अपीलांटगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित वाके ग्राम ग्राम मंडिता तहसील सांगोद की खाता संख्या 116 की खसरा संख्या 98 रकबा 0.60 हेक्टेयर, खाता संख्या 115 की कुल किता 6 कुल रकबा 6.92 हैक्टेयर आराजी के मोके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने तथा कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीग रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट एवं अप्रार्थीगण अपीलांटगण की पुश्तैनी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपीलांट ना तो वादग्रस्त आराजी की अभिलिखित खातेदार है और ना ही प्रार्थी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं के कब्जे काश्त के समर्थन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि पर अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। अतः वादग्रस्त आराजी पर अभिलिखित खातेदार अपीलांटगण अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त माना जावेगा। चूंकि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी में स्वयं का कब्जा काश्त होने के समर्थन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः ऐसी स्थिति प्रथम दृष्ट्या प्रकरण,

सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं होना प्रकट होता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वार अपने निर्णय दिनांक 28.04.2025 में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निहित होना स्वीकार किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.04.2025 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 63/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की विधि अनुसार विवेचना करते हुए नवीन निर्णय परित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 18.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा